कार्यालय उप तहसीलदार बागोर (माण्डल)

निर्णय

प्रकरण संख्या–3 / 19 दिनांक :19 / 03 / 2019

अनवान पटवारी हल्का भावलास

सरकार बजरिये पटवारी वनाम कस्तूर पिता केशु गाडरी निवासी
प. हल्का भावलास चमारिया खेड़ा मजरा (जोरावरपुरा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भावलास ने इस आशय कि रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री कस्तूर पिता केशु जाति गाडरी निवासी चमारिया खेड़ा मजरा जोरावरपुरा ने ग्राम माणकियास में स्थित आराजी नम्बर 12 रकवा 0.1 बिस्वा है, पर दौराने सम्वत 2075 रबी में अनाधिकृत रूप से मकान निर्माण हेतु चार दीवारी का निर्माण कर कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 (3) LR ACT में जारी किया। जो विधिवत तामील करवाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी उपस्थित जिसने हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का स्वीकार किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से अतिक्रमी स्थल का अतिक्रमी के नाम नियमन होना नहीं पाया जाता है एवं उक्त आराजी से अतिक्रमी को ग्राम माणकियास में स्थित चारागाह आराजी नम्बर 12 रकवा 0.1 बिस्वा है, से तुरन्त बेदखल किया जाता है। गैर मुमकिन मकान निर्माण की दिवार को ध्वस्त किया जाकर भूमि तहवील सरकार ली जावें एवं शास्ती लगानी 1 रू. की 50 गुणा से 50 रूपये अधिरोपित कर वसूल करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ पटवारी हल्का एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें।

उप तहसीलदार

बागोर

Scanned by CamScanner